सुरेश *बनाम* हरियाणा राज्य

(एच. एस. भल्ला, जे)

समक्ष *एच.एस. भल्ला,* माननीय न्यायधीश

सुरेश – *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य – *उत्तरदाता*

आपराधिक अपील संख्या *281 / एसबी* सन् *1992*

2 अप्रैल, 2007

भारतीय दंड संहिता, 1860 – धारा 376 और 511 - लगभग 12 साल की लड़की के बलात्कार के लिए धारा 376 के तहत अपीलकर्ता को दोषी *ठहराया गया – स्तन, जांघ या शरीर पर कहीं भी कोई चोट के निशान मौजूद नहीं थे ---धारा 375 का मूल घटक योनि प्रवेश में होता है- मात्र थोड़ा सा योनि प्रवेश भी भारतीय दंड सहिता की धारा 375 जो कि धारा 376 के तहत दंडनीय है में आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त होगा- आरोपी को दोषी ठहराने के लिए उचित परिप्रेक्ष्य में सबूत पर्याप्त है हालांकि वास्तविक तोर पर बलात्कार का होना स्थापित नहीं हो पाया है* परंतु *अभियोजन सभी उचित संदेह से परे* आरोपी द्वारा *बलात्कार करने के प्रयास को साबित करने में सक्षम* रहा है– *अभियुक्त की सजा को 7 साल की अवधि से घटा कर 4 साल की अवधि करके आंशिक रूप से अपील* को *अनुमति दी गई*।

निर्णय, अभियोजन पक्ष की आयु लगभग 12 वर्ष थी, इसलिए, उसकी सहमति अप्रासंगिक थी। अपीलकर्ता उसके साथ जबरन संभोग करने के इरादे से उसे गुमती ले गया था। भारतीय दण्ड सहिता की धारा 375 के तहत अपराध जो कि धारा 376 के तहत दंडनीय है का महत्वपूर्ण विस्तार योनि में प्रवेश है जो मामले में बिलकुल लापता है। भारतीय दण्ड सहिता की धारा 376 के तहत कोई अपराध नहीं हो सकता जब तक कुछ हद तक योनि में प्रवेश न हो। योनि में प्रवेश की अनुपस्थिति में अपीलकर्ता के अपराध को किसी भी हाल में भारतीय दंड सहिता की धारा 375 के चार कोनों के भीतर नहीं लाया जा सकता। इसलिए, बलात्कार के आरोप को

साबित करने के लिए मूल सामग्री बलपूर्वक कार्य की सिद्धि है। अन्य महत्वपूर्ण घटक वीर्य के उत्सर्जन के साथ या बिना लबिया प्रमुख या पुडेंडा के भीतर पुरुष अंग की पैठ या फिर पीड़िता के निजी हिस्से में पूरी तरह से या आंशिक रूप से प्रवेश करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और 376 में सज़ा करने के लिए पर्याप्त होगा।

(पैरा 10)

आगे निर्णित, बलात्कार के अपराध का गठन करने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि वीर्य के उत्सर्जन के साथ लिंग में पूर्ण प्रवेश होना चाहिए या हाइमन का टूटना ज़रूरी हो।जैसा कि कानून में परिभाषित किया गया है कि वीर्य के उत्सर्जन के साथ या बिना वल्वा के लबिया मजोरा या पुडेंडम के भीतर आंशिक पैठ बलात्कार के अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत प्रवेश की गहराई अपराध के लिए सारहीन है। मैं इस तथ्य के प्रति भी सचेत हूं कि अभियोजन पक्ष बलात्कार के अपराध का शिकार होने कि शिकायत करने के बाद अभियोत्री साथी नहीं बन जाती है तथा उसकी गवाही पर बिना किसी पुष्टि के भी कार्य किया जा सकता है। उसे शारीरिक एवं भावनात्मक रूप से चोट लगी होती है तथा यह एक महिला की गरिमा को भी प्रभावित करता है। पूरा मामला जो ऊपर देखा गया है, उसे रिकॉर्ड पर उपलब्ध सबूतों को ध्यान में रखते हुए जांच की आवश्यकता है।

(पैरा 15)

आगे आयोजित, निष्कर्ष है कि रिकॉर्ड पर आए सबूत अप्रतिरोध्य है कि अभियोजन सभी उचित संदेह से परे बलात्कार करने के प्रयास के आरोप को स्थापित करने में सक्षम रहा है। अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 511 के साथ धारा 376 के तहत दोषी ठहराया जाता है।

(पैरा 23)

संजय वशिश्त, अधिवक्ता, *अपीलकर्ता के लिए.*

दीपक गिरोत्रा, सहायक महाधिवक्ता, हरियाणा.

निर्णय

वह. भला, माननीय न्यायाधीश

सुरेश *बनाम* हरियाणा राज्य

(एच. एस. भल्ला, जे)

(1) यह अपील तारीख 14/ 15 जुलाई, 1992 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हिसार द्वारा पारित किए गए फैसले के खिलाफ निर्देशित है जिसके द्वारा उन्होंने भारतीय दंड सहिता की धारा 376 के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराया था और सात साल के लिए कठोर कारावास से गुजरने एवं 2000 रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया गया था; जिसको न भरने पर उसे आगे छह महीने की अवधि के लिए कठोर कारावास से गुजरने के लिये निर्देशित किया था।

(2) अपीलकर्ता की सजा के लिए तथ्यात्मक मैट्रिक्स इस प्रकार है कि:-

(3) 19 फरवरी, 1991 को लगभग दोपहर 3.00 बजे अभियोत्री, दया नंद की 12-13 वर्ष की बेटी, निवासी बुडाना अपने गांव बुडाना के खेतों में काम कर रही थी, जबकि उसके पिता दया नंद उससे दो किलोमीटर की दूरी पर जहां अभियोजन बरसीन की फसल काट रही थी वाहा सुभाष चंदर के ईंट-भट्ठा में काम कर रहे थे। बरसीन काटने से पहले अभियोत्री करीबन 12 बजे अपने पिता के लिए भोजन लेकर गयी थी जो कि ईंट-भट्ठा पर काम कर रहे थे और सेवा करने के बाद अभियोत्री ने खेत में बरसीन की फसल काटना शुरू कर दिया। करीबन 3.00 बजे, आरोपी सुरेश ने अभियोत्री को अकेले मैदान में पाकर उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसे जबरन जमीन पर गिराकर, उसके मुंह पर हाथ रख दिया और मुंह के बाईं ओर गाल पर काट दिया तथा उसने दूसरे हाथ से अभियोत्री की सलवार का नारा खोला और उसके बाद जबरन उसकी सहमति के बिना उसके साथ यौन संभोग किया। अभियोत्री के चिल्लाने पर उसके पिता दया नंद जो कि पास के भट्टे पर काम कर रहे थे घटनास्थल पर पहुँचे, तो उनको देखकर आरोपी गाँव की ओर भाग गया। दया नंद अभियोत्री को नारोंड थाने लेकर आए जिसके बयान पर S.I शेर सिंह द्वारा वर्तमान एफआईआर, Ex.PL, पंजीकृत की गई तथा जांच को शुरू किया गया। अभियोत्री को सिविल अस्पताल, हांसी ले जाया गया, जहां उसका कानूनी तौर पर चिकित्सक निरीक्षण किया गया। जांच अधिकारी ने नक्शा मौका तैयार किया तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दया नंद के बयान दर्ज किए। इसके बाद, आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा उसका चिकित्सक परीक्षण किया गया। औपचारिकताओं की आवश्यकता पूरा होने पर, पुलिस ने भारतीय दंड

संहिता की धाराएँ 376/ 354 के तहत चालान पेश किया तथा अभियुक्त को कानूनी कारवाई के लिए भेझ दिया।

(4) अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत चार्ज-शीट किया गया, जिसके लिए उसने अपना अपराध नहीं माना और ट्राइल की मांग की।

(5) अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने के लिए 11 गवाओं अर्थात्, श्री ओ.पी. वर्मा, जेएमआईसी, हांसी (PW-1), शिवधन सिंह, इंस्पेक्टर (PW-2), सुरेश कुमार (PW-3), बलदेव, सांख्यिकीय सहायक (PW-4), राजिंदर सिंह (PW-5), शेर सिंह, उप निरीक्षक/ SHO (PW-6), अभियोत्रि (PW-7), दया नंद (PW-8), डॉ. आर. के. नंदल (PW-9), डॉ. उर्मिल (PW -10) और ओम पार्काश, सहायक उप निरीक्षक (PW-11) की जांच की और इसके सबूत बंद कर दिए।

(6) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपराधी के बयान दर्ज किए गए जिसमें उसने अपने लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया और निवेदन किया कि पिछली दुश्मनी के कारण उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। हालांकि, उसने अपने बचाव में कोई सबूत नहीं रखा।

(7) मैंने दोनों पक्षों के विद्वान आदिवक्ताओं को सुन लिया है तथा उनकी सहायता से इस केस से जुड़े सभी दस्तावेजों का अवलोकन कर लिया है।

(8) अभियोक्त्री, जिसकी उम्र लगभग 12/13 वर्ष थी, उसकी PW-7 के रूप में जांच की गई और उसके पिता की जांच PW-8 के रूप में की गई। डॉ. आर. के. नंदल, जिन्होंने अपीलकर्ता की चिकित्सीय- कानूनी जांच की, ने कटघरे में आकार पीडबल्यू-9 के रूप में हस्तक्षेप किया तथा एक अन्य महत्वपूर्ण गवाह, अर्थात् डॉ. उर्मिल, जिन्होंने पीड़िता की चिकित्सीय-कानूनी जांच की थी, उन्होने पीडबल्यू-10 के रूप में गवाई दी। वर्तमान मामले में घटना 19 फरवरी, 1991 को 3.00 बजे घटी जब अभियोकत्री गांव बुड़ाना के क्षेत्र में काम कर रही थी और उसके पिता दया नंद घटना स्थल से 2 किले की दूरी पर नौकरी कर रहे थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार दोपहर तीन बजे बरसीन की फसल काटते समय अपीलकर्ता सुरेश ने पीड़िता को अकेला पाया और उसे जमीन पर लिटा दिया और उसके बाद जबरन उसके साथ यौन संबंध बनाए और उसके बाद उसके गाल पर काट लिया। अभियोक्ता द्वारा शोर मचाने पर, जब उसके पिता घटनास्थल पर पहुंचे तो, अपीलकर्ता मौके से भाग गया।

(9) डॉ. उर्मिल (पीडब्लू-10) जिसने एम चिकित्सक निरीक्षण रिपोर्ट के माध्यम से, Ex.PN/1 से अभियोक्त्री की जांच की थी, उनका बयान पढ़ने के बाद, मुझे लगता है कि इस गवाह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि स्तन, जांघ या शरीर पर कहीं और कोई चोट का निशान मौजूद नहीं था । अभियोक्त्री के गाल के बाईं ओर एक दांत से काटने का निशान पाया गया। उन्होंने आगे खुलासा किया है कि प्यूबिक हेयर ठीक से विकसित नहीं हुए थे, चतुर्थ हाइमन थोड़ा पंखुड़ीदार था। न कोई आंसू और न ही खून उपस्थित था। उन्होंने आगे खुलासा किया कि एफएसएल रिपोर्ट, Ex. PJ के अनुसार, सलवार Ex. P-2 पर वीर्य का होना पाया गया था। हालाँकि, योनि स्वैब या शर्ट पर कोई वीर्य नहीं पाया गया था। उन्होंने खुलासा किया है कि वह यह कहने में असमर्थ हैं कि बलात्कार हुआ था या नहीं। Ex. PJ रिपोर्ट के अनुसार, अभियोक्त्री की योनि से लिए गए स्वाब में कोई शुक्राणु नहीं पाया गया था।

(10) अभियोक्त्री एवं उसके पिता के बयान पर ध्यान देने से पहले यह पता लगाना आवश्यक है कि क्या अपीलकर्ता द्वारा अपराध हुआ है या नहीं? अब यक्ष प्रश्न यह है कि वास्तव में भारतीय दंड संहिता की कौन सी धाराएँ है जिसके अंतर्गत अपीलकर्ता को उसके अपराध के अनुसार दोषी ठहराया जाना आवश्यक है। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराया। सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए, मैं भारतीय दंड संहिता की धारा 375 जो धारा 376 के अंतर्गत दंडनीय है के मूल अवयवों की जांच करना उचित समझता हूं ताकि यह पता लग सके कि धारा 376 के तहत अपीलकर्ता की सज़ा धारा 376 के अंतर्गत टिकाऊ है या नहीं।

375. बलात्कार - उस पुरुष को "बलात्कार" करने वाला माना जाता है, जो इसके बाद छोड़े गए मामले को छोड़कर, निम्नलिखित छह विवरणों में से किसी एक के अंतर्गत आने वाली परिस्थितियों में किसी महिला के साथ संभोग करता है: -

(प्रथम) - उसकी इच्छा के विरुद्ध।
(दूसरा) - उसकी सहमति के बिना।
(तीसरा) - उसकी सहमति से, जब उसकी सहमति उसे या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसमें वह रुचि रखती है, मृत्यु या चोट के डर से डालकर प्राप्त की गई हो।

(चौथा) - उसकी सहमति से, जब पुरुष जानता है कि वह उसका पति नहीं है, और उसकी सहमति इसलिए दी गई है क्योंकि वह मानती है कि वह एक और पुरुष है जिससे वह है या खुद को कानूनी रूप से विवाहित मानती है।

(पांचवां) - उसकी सहमति से, जब, ऐसी सहमति देते समय, मन की अस्वस्थता या नशे के कारण या उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य के माध्यम से किसी भी मूर्खतापूर्ण या अस्वास्थ्यकर पदार्थ के प्रशासन के कारण, वह प्रकृति को समझने में असमर्थ है और जिसके लिए वह सहमति देती है उसके परिणाम।

(छठा) - उसकी सहमति से या उसके बिना, जब वह सोलह वर्ष से कम उम्र की हो।

स्पष्टीकरण- बलात्कार के अपराध के लिए आवश्यक संभोग का गठन करने के लिए प्रवेश पर्याप्त है।

(अपवाद) - किसी पुरुष द्वारा अपनी ही पत्नी, जिसकी पत्नी पंद्रह वर्ष से कम उम्र की न हो, के साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं है।

भारतीय दंड सहिता की धारा 375 के तहत, ऊपर बताई गई छह श्रेणियां अपराध के मूल तत्व हैं। तथ्यों और परिस्थितियों के इस मामले में अभियोकत्री की उम्र लगभग 12 वर्ष थी, इसलिए, उसकी सहमति अप्रासंगिक थी। अपीलकर्ता उसके साथ यौन संबंध बनाने के इरादे से उसे जबरन अपने पास गुमटी ले गया था । भारतीय दण्ड सहिता की धारा 375 के तहत अपराध जो कि धारा 376 के तहत दंडनीय है का महत्वपूर्ण विस्तार योनि में प्रवेश है जो मामले में बिलकुल लापता है। भारतीय दण्ड सहिता की धारा 376 के तहत कोई अपराध नहीं हो सकता जब तक कुछ हद तक योनि में प्रवेश न हो। योनि में प्रवेश की अनुपस्थिति में अपीलकर्ता के अपराध को किसी भी हाल में भारतीय दंड सहिता की धारा 375 के चार कोनों के भीतर नहीं लाया जा सकता। इसलिए, बलात्कार के आरोप को साबित करने के लिए मूल सामग्री बलपूर्वक कार्य की सिद्धि है। अन्य महत्वपूर्ण घटक वीर्य के उत्सर्जन के साथ या बिना लबिया प्रमुख या पुडेंडा के भीतर पुरुष अंग की पैठ या फिर पीड़िता के निजी हिस्से में पूरी तरह से या आंशिक रूप से प्रवेश करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और 376 के प्रयोजन के लिए पर्याप्त होगा।

सर्वोच्च न्यायालय के पास इसके मूल तत्वों से निपटने का अवसर उत्तर प्रदेश राज्य बनाम बाबुल नाथ के मामले में आया था[1]। इस मामले में इस न्यायालय ने धारा 375 के मूल अवयवों को निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया-

> "8. यहाँ यह देखा जा सकता है कि धारा 375 बलात्कार को परिभाषित करता है और इसकी व्याख्या इस प्रकार है:
>
> **"स्पष्टीकरण: –** बलात्कार के अपराध के लिए योनि में **प्रवेश** आवश्यक संभोग करने के लिए पर्याप्त होगा।"

ऊपर दिए गए स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट होता है कि बलात्कार के आरोप को साबित करने के लिए बल और प्रतिरोध आवश्यक अवयव है। बलात्कार के अपराध का गठन करने के लिए न तो भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत और न ही संलग्न स्पष्टीकरण में पीड़िता के निजी हिस्से में लिंग के पूर्ण प्रवेश की आवश्यकता है। बलात्कार के अपराध का गठन करने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि वीर्य के उत्सर्जन के साथ लिंग में पूर्ण प्रवेश होना चाहिए या हाइमन का टूटना ज़रूरी हो। वीर्य के उत्सर्जन के साथ या बिना वल्वा के लबिया मजोरा या पुडेंडम के भीतर आंशिक पैठ भारतीय दंड संहिता की धारा 375 एवं धारा 376 में बलात्कार के अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त होगा। ऐसा होना संभव है कि बिना जननांगों पर चोट पहुंचाए या वीर्य के धब्बे छोड़े बिना भी कानूनी रूप से बलात्कार का अपराध किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान मामले में जैसा की ऊपर देखा गया है हमारे सामने पर्याप्त से अधिक सबूत सकारात्मक रूप से पेश किए गए है जिनसे यह दिखाई देता है कि पीड़िता पर यौन गतिविधि की गई थी और उसपर यौन हमला किया गया जिसके बिना उसे जांच करने वाले डॉक्टर के हिसाब से उसके निजी हिस्सों पर चोटें आना संभव नहीं था।

(11) केरल उच्च न्यायालय द्वारा एक मामले **केरल राज्य *बनाम* कुंडुमकारा गोविंदम**[2] में अपराध के तत्वों की जांच की गई है। इस मामले में, न्यायालय ने यह प्रेक्षित किया कि: –

---

[1] 1995 (1) RCR (Crl.) 100 = (1994) 6 S.C.C. 29.
[2] 1969 Crl. L.J. 818

“भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अपराध का मूल सन्दर्भ बलात्कार है और इसमें यौन संबंध का परिपक्षिकरण होता है। "संबंध" शब्द यौन संबंध को सूचित करता है। इसे आत्मनिर्भर संगठनों के सदस्यों के बीच आपसी निरंतर क्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस उपमा के माध्यम से "संबंध" शब्द, "वाणिज्य" शब्द की तरह यौन रिश्तों के संबंध में लागू किया जाता है। संबंध में एक संगठन के सदस्य द्वारा दूसरे संगठन के सदस्य के पास निश्चित और सीमित उद्देश्यों के लिए अस्थायी आगमन होता है। आगमन के प्रमुख उद्देश्य है यौन संकट के परिणामस्वरूप तंतु में दबाव के एक द्वारण के माध्यम से आनंद प्राप्त करना। यौन संबंध केवल तब होता है जब आगमन सदस्य कम से कम हिस्सेदार अंगीकृत होता है, क्योंकि संबंध संज्ञा स्वीकृति का संकेत करता है। जांघों के बीच संबंध में, आगमन करने वाले पुरुष अंगणीकृत कम से कम हिस्सेदार होते हैं, जांघों को एक साथ और मजबूत रूप से रखा जाता है।“

(12) कॉनसीज ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार, "पेनेट्रेट" शब्द का अर्थ होता है "प्रवेश करना, या पास हो जाना, माध्यम से जाना।"

> "बलात्कार को साबित करने के लिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 375 की मांग है कि प्रवेश की चिकित्सा साक्षरता हो तथा हाईमेन अविच्छेदित रहे। धारा 375 के स्पष्टीकरण में, योनि में लिंग का केवल प्रवेश बलात्कार का अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 में दंड देने के लिए थोड़ा सा प्रवेश ही पर्याप्त होता है। “
>
> “इंग्लैंड में कानून की स्थिति समान ही है। बलात्कार के अपराध को स्थापित करने के लिए प्रवेश की आवश्यकता होती है। **आर. *बनाम* पहाड़ी**[3], यहां तक कि थोड़ी सी पैठ भी पर्याप्त होगी। जहाँ प्रवेश साबित किया गया था, लेकिन इस प्रकार की गहराई नहीं थी जिससे हाइमेन को चोट आए, फिर भी यह बलात्कार का अपराध माना जाएगा। इस सिधान्त को **आर *बनाम* एम रुए**[4], तथा **आर *बनाम* एलियन**[5] में दिया गया है। **आर. *बनाम* ह्यूजेस**[6] के मामले में तथा **आर. *बनाम* लाइंस**[7], कोर्ट ने यह विचार किया है कि हाइमन के टूटने का प्रमाण

---

[3] (1781) 1 East P.C. 439
[4] (1838) 8 C&P 641
[5] (1839) 9 C&P 31
[6] (1841) 2 Mood 190
[7] 1844 (1) C&K 393

अनावश्यक है।'' **आर. *बनाम* मार्सडेन**[8] के मामले में न्यायालय ने कहा है कि 'वीर्य के वास्तविक उत्सर्जन को साबित करना अनावश्यक है; केवल पैठ के प्रमाण पर संभोग को पूर्ण समझा जाता है।”

(13) **निर्मल कुमार *बनाम* राज्य**[9] के मामले में न्यायालय ने यह निर्णय किया कि:

"बलात्कार के अपराध के लिए लिंग द्वारा योनिद्वार में थोड़ा सा भी प्रवेश वीर्य के उत्सर्जन के साथ या उसके बिना गठन के लिए पर्याप्त है। इस मामले में आरोपी ने एक 4 साल की छोटी लड़की के साथ बलात्कार का अपराध किया था और वह लेबिया प्रमुख की भीड़, लेबिया मिनोरा और लेबिया माइनर के आंतरिक पक्ष की लालिमा और पीड़िता की योनि की श्लेष्मा झिल्ली के कारण न बता सका। आरोपी द्वारा पहने गए कच्छे पर भी वीर्य के दाग पाए गए। आरोपी की सज़ा को उचित ठहराया गया।"

(14) ऊपर उद्धृत कानून के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि बलात्कार के अपराध के लिए प्रवेश अत्यंत आवश्यक है, और प्रवेश को स्थापित करने के लिए, आरोपी के वीर्य वाले अंग का कुछ हिस्सा महिला के पुडेंडम की लेबिया के भीतर था, चाहे वह किसी भी मात्रा में ही क्यूँ न हो। यह भी स्पष्ट है कि यौन संबंध के लिए लिंग का योनि में थोड़े दर्जे का प्रवेश भी पर्याप्त है, जिसके तहत आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपराध के लिए दोषी माना जाता जो कि धारा 376 के तहत दंडनीय है।

(15) अब मामले के तथ्यों को वापस ध्यान देते हुए, आरोपी पर केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 376 का आरोप लगाया गया है। बलात्कार के अपराध का गठन करने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि वीर्य के उत्सर्जन के साथ लिंग में पूर्ण प्रवेश होना चाहिए या हाइमन का टूटना ज़रूरी हो। वीर्य के उत्सर्जन के साथ या बिना वल्वा के लबिया मजोरा या पुडेंडम के भीतर आंशिक पैठ बलात्कार के अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त है जैसा कि कानून में परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत प्रवेश की गहराई

---

8 (1891) 2 QB 149

9 2002 (2) RCR (crl.) 341 = (2002) Crl. L.J. 3352 (P & H)

अपराध के लिए सारहीन है। मैं इस तथ्य के प्रति भी सचेत हूं कि अभियोजन पक्ष बलात्कार के अपराध का शिकार होने कि शिकायत करने के बाद अभियोक्त्री साथी नहीं बन जाती है तथा उसकी गवाही पर बिना किसी पुष्टि के भी कार्य किया जा सकता है। उसे शारीरिक एवं भावनात्मक रूप से चोट लगी होती है तथा यह एक महिला की गरिमा को भी प्रभावित करता है। पूरा मामला जो ऊपर देखा गया है, उसे रिकॉर्ड पर उपलब्ध सबूतों को ध्यान में रखते हुए जांच की आवश्यकता है। यदि मामले के तथ्यों को वापस देखा जाये तो, आरोपी पर आरोप लगाया गया है कि उस पर भारतीय दंड संहिता की केवल धारा 376 लगाई गई है। अभियोक्त्री ने PW-7 के रूप में कठघरे में कदम रखा और अपीलकर्ता द्वारा किए गए गलत काम के संबंध में बयान दिया कि: -

> "उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और मुझे जमीन पर फेंक दिया। अभियुक्त ने एक हाथ से मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे मेरे बायें गाल पर दाँतो से काट लिया दिए और दूसरी ओर उसने मेरी सालवार के नारे को खोला और फिर यौन प्रतिबद्ध मेरे साथ जबरन संभोग किया। मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर, मेरे पिता मौके पर आए जिनको देखकर आरोपी वहाँ से भाग गया। "

(16) अभियोक्त्री का बयान स्पष्ट रूप से बताता है कि बलात्कार खेतों में किया गया था, लेकिन उल्लंघन का कोई भी निशान आसपास या अभियोक्त्री के निजी हिस्से पर नहीं पाया गया तथा जांघों, पैरों, पीठ और स्तन, और न ही अभियुक्त के शरीर पर कोई नाखून के निशान पाये गए थे। वीर्य की उपस्थिति केवल अभियोक्त्री के कपड़ों पर पाई गई थी, लेकिन उसके निजी भागों पर नहीं पाई गई थी और चिकित्सा साक्ष्य के अवलोकन के माध्यम से, यह फिर से रिकॉर्ड पर साबित होता है कि अभियोक्त्री की गवाही को चिकित्सक साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं किया जा सकता। PW10 डॉक्टर ऊर्मिल जिन्होने अभियोक्त्री की जांच की थी के प्रासंगिक विवरण में कहा कि:

> "19.2.1991 को 10.20 बजे मैंने दया नंद की बेटी शकुंतला उम्र, लगभग 12 वर्ष, कुम्हार, निवासी बुडाना

की जांच की थी और उसके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई: –

1. मुँह के बाएं कोने के चारों ओर, गाल की बाईं ओर, नीले रंग के 3x5 सेमी के व्यास के चेहरे पर दांतों के काटने का चिहन
2. स्तन, जांघ या शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था।
3. सार्वजनिक बाल खराब तरीके से विकसित हुए थे, 4वां हाइमेन थोड़ा पीट था. न आंसू थे और न ही खून बह रहा था। पिछवाड़ी योनि स्वैब्स, सलवार और कमीज रासायनिक जांच के लिए भेजे गए, (इस समय, एफएसएल के मुहर से ढके हुए एक पार्सल को खोला गया और उसकी वस्तुएँ बाहर निकाली गई)। सलवार, Ex. P-2, और कमीज, Ex. P-3, जो कि मेरे द्वारा जाँच के समय शंकुतला के शरीर से निकाले गए थे। मैंने रासायनिक जाँचकर्ता की रिपोर्ट, Ex. PJ, देखी है। रिपोर्ट के अनुसार, सलवार, Ex. P-2 पर वीर्य पाया गया। मैं यह नहीं कह सकता कि उसपर बलात्कार हुआ था या नहीं..." "हाइमेन एक मुख में स्थित स्लेपी परत है। अगर एक पूरी तरह विकसित मजबूत आदमी द्वारा बलपूर्वक एक यौन संबंध किया जाता है, जिसके पास उभर कर लंबाई 17 सेमी की लिंग हो, और यह वर्जिन के साथ हो, तो हाइमेन कट जाएगा और एक या एक से अधिक प्रकाशन, जिनके किनारे लाल, सूजी हुई होगी और अगर क्रिया के एक दिन या दो दिन के भीतर जाँची जाती है तो उसको छूने पर खून निकलेगा। चोट वाणगी के अंदर 5/6 दिनों में भर जाएगी और 8 से 10 दिनों के बाद वो सिकुढ़ जाएगी और छोटे ग्रैन्यूलर टैग्स की तरह दिखेगी। शकुंतला के शरीर पर ऐसी कोई चीज नहीं मिली। मैंने वुल्वल क्षेत्र, हाइमेन, योनि, या शरीर के किसी भी निजी हिस्से पर त्वचा में दर्द, लालिमा, सूजी या फटन को नहीं पाया।" मैं सहमत हूं कि शुक्राणु की उपस्थिति यह सुनिश्चित परीक्षण है कि क्या यौन संबंध बनाए गए थे या नहीं। शुक्राणु की उपस्थिति को योनि के अंदर या योनि से लिए गए स्वैब्स में

> नोट किया जाना चाहिए। रासायनिक जांचकर्ता की रिपोर्ट, Ex. PJ के अनुसार, मेरे द्वारा शकुंतला की योनि से लिए गए स्वैब्स में कोई शुक्राणु नहीं पाए गए..." "शकुंतला की सलवार पर शुक्राणु के अलावा किसी और संबंध का कोई और संकेत नहीं था। 19 फरवरी, 1991 को दोपहर 3:00 बजे शकुंतला के दाँतों के काटने की कोई संभावना नहीं थी।

(17) यह सच है कि आमतौर पर एक युवा लड़की झूठे निहितार्थ के माध्यम से अपने चरित्र पर दांव नहीं लगाएगी, लेकिन प्रत्येक मामले को स्वयं के तथ्यों के अनुसार निर्धारित तोर से देखा जाता है। कानून को मद्देनजर रखते हुए यह स्पष्ट है कि प्रवेश की थोड़ी सी भी डिग्री भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत जो कि धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध है आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है।

(18) धारा 511 में "प्रयास" शब्द का बहुत बड़े संदर्भ में प्रयोग किया गया है। एक व्यक्ति किसी विशेष अपराध का प्रयास करता है जब (i) वह विशेष अपराध का प्रयास करने का इरादा रखता है, (ii) वह, तैयारी कर रहा हो और अपराध को करने के इरादे के साथ उसके प्रयास के प्रति कार्रवाई करता है।

(19) एक आरोपित को एक बलात्कार करने के इरादे के साथ प्रयास का दोषी पाने के लिए, न्यायालय को संतोष करना होगा कि जब आरोपी ने अभियोकत्री को पकड़ लिया, तो उसका उद्देश्य केवल उसके व्यक्तिगत शरीर पर अपने आवेशों को पूरा करने का ही नहीं था, लेकिन उसने अभियोकत्री के किसी भी प्रकार के विरोध के बावजूद यह करने का इरादा किया था। अशिष्ट हमलों को अक्सर बलात्कार के प्रयासों में डाल दिया जाता है। आरोपी के व्यवहार से स्पष्ट होना चाहिए कि उसके आवेशों को सभी प्राकृतिकता के बावजूद और सभी विरोध के बावजूद अनिवार्य रूप से पूरा करने का इरादा किया था जिसके लिए उसके पास साक्ष्य होने चाहिए। जैसा कि पहले ही उपर चर्चा की गई है, बलात्कार के अपराध के लिए प्रवेश आवश्यक है और न कि स्खलन। स्खलन प्रवेश के बिना बलात्कार करने का प्रयास होता है और न की बलात्कार। जब अभियोकत्री के साक्षय का सही दिशा में विचार किया जाता है, तो स्पष्ट होता है कि वास्तविक बलात्कार की आपातकालीन क्रिया स्थापित नहीं

हुई है। हालांकि, यह साबित करने के लिए सबूत पर्याप्त है कि बलात्कार करने का प्रयास किया गया है।

(20) **मदन लाइ** *बनाम* **जम्मू और कश्मीर राज्य** के मामले में[10], जिसमें यह निर्णय लिया गया कि: –

"एक अपराध कि तैयारी और प्रतिबद्ध करने के प्रयास के बीच का अंतर मुख्य रूप से अधिक से अधिक निश्चय के मामूली उपयोग में होता है, और बलात्कार के अपराध करने की कोशिश के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि आरोपी तैयारी के चरण से परे चला गया है। यदि किसी आरोपी ने एक लड़की के कपड़े उतार दिए और फिर उसे सीधा लेटा दिया, खुद को नंगा किया और लड़की के निजी हिस्से पर अपने लिंग को रखा, लेकिन उसे योनि में प्रवेश करने में असफल रहा, और इस तरह के रगड़ने के साथ अपने आप को व्यक्त किया, तो इसे केवल भा. दंड संहिता की धारा 354, के तहत एक हमला का मामला या भा. दंड संहिता की धारा 511 के तहत प्रयास नहीं कहा जा सकता है।"

(21) **अभयंद मिश्रा** *बनाम* **राज्य बिहार**[11] के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय किया कि: –

"अपराध की तैयारी और प्रयास के बीच एक पतली रेखा है। निस्संदेह, एक अपराधी पहले अपराध करने का इरादा करता है, फिर उसकी तैयारी करता है और उसके बाद अपराध को प्रतिबद्ध करने का प्रयास करता है। यदि प्रयास सफल होता है, तो उसने प्रतिबद्ध अपराध किया है; यदि यह उसके नियंत्रण से परे कारणों से विफल रहता है, तो यह कहा जा सकता है कि अपराध करने का प्रयास किया गया है। एक अपराध का प्रयास, इसलिए, पूरा तब माना जाएगा जब अपराधी अपराध करने के इरादे से कोई कदम बढ़ाता है। जैसे ही अपराधी आवश्यक इरादे के साथ अपराध करने की शुरुआत करता है, तब यह माना जाता है कि उसने अपना प्रयास शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 511 के बारे में कहा कि:

[10] 1998 (Crl.L.J.) 667 (S.C.)
[11] AIR 1961 S.C. 1698

– "एक व्यक्ति अपराध करने का प्रयास करता है जब: (i) वह किसी विशेष अपराध का प्रयास करने का इरादा करता है; और (ii) वह जब तैयारी करने के बाद, अपराध करने के इरादे से कोई कृत करता है तो इस तरह की कार्रवाई को आपराध का क्रियान्वयन के प्रति अंतिम क्रिया कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसका एक कार्य उस अपराध को करने के कार्य में होना चाहिए।

(22) जब बलात्कार के प्रयास को वर्तमान मामले के तथ्यों में फिर से देखते हैं, तो स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता ने अभियोकत्री को पकड़ लिया; उसके मुंह पर हाथ रखा और दूसरी ओर उसके गालों पर दांतों से काट लिया, फिर उसने सलवार का नारा खोला और जबरन उसके साथ संभोग किया. अभियोकत्री के चिल्लाने पर उसके पिता वहाँ पर पहुंचे जिनहे देखकर आरोपी भाग गया।

(23) मेरे विचार में निष्कर्ष यह है कि रिकॉर्ड पर आए सबूतों के आधार पर यह अप्रतिरोध्य है कि आरोपी द्वारा बलात्कार करने के प्रयास के आरोप को अभियोकत्री सभी उचित संदेह से परे स्थापित करने में सक्षम रही है। अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 511 के साथ धारा 376 के तहत दोषी ठहराया जाता है।

(24) सजा को कम करने के साथ, अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है।

(25) जमानत बांड रद्द किए जाते है और अपीलकर्ता को सजा की शेष अवधि भुगतने के लिए आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है, असफल होने पर उसे गिरफ्तार करने के लिए उचित कदम उठाए जाए और सजा काटने के लिए उसे हिरासत में लिया जाये।

अस्वीकरण : *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।*

सुरेश *बनाम* हरियाणा राज्य

(एच. एस. भल्ला, जे)

अवंतिका
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल, हरियाणा